न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 49/2019
RCMS Case No. 2019/000174

सायल :– **बनाम** **गैरसायलः–**

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

श्री बस्तीराम पुत्र कस्तुरजी जाति प्रजापत निवासी धामली, पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 9.01.2020

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 12.09.2019 को गैरसायल श्री बस्तीराम पुत्र कस्तुरजी जाति प्रजापत निवासी धामली, पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना मारवाड़ जंक्शन का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 1997 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिन में से दो प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	मु0न0	धारा	नाम न्यायालय	निर्णय
1	35/15.04.1997	323, 447 भादस	J M Court M.J.	जरिये राजीनामा बरी
2	326/02.11.2017	13 आर.पी.जी.ओ.	J M Court M.J.	200/– जुर्माना
3	08/06.01.2018	13 आर.पी.जी.ओ.	J M Court M.J.	100/– जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल श्री बस्तीराम पुत्र कस्तुरजी जाति प्रजापत निवासी धामली, पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली जुऐं के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा गांव में नमकीन का थैला लगाकर अपना परिवार चला रहा है। वह अब किसी भी प्रकार के जुऐं के धंधे में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 05.12.2017 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार दिनांक 16.01.2018 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल श्री बस्तीराम पुत्र कस्तुरजी जाति प्रजापत निवासी धामली, पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन से निष्काषित कर पुलिस थाना कोतवाली, पाली जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 24/01/2020 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना कोतवाली पाली, जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी कोतवाली पाली, जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल बस्तीराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड जंक्शन, गैरसायल बस्तीराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी मारवाड जंक्शन उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी मारवाड़ जंक्शन अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 9.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली